राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ. 3(ख) (ओ–608/86)/अलेसे–II/ 19716-19722 दिनांक :– 11.08.2015

कार्यालय आदेश

श्री ओम प्रकाश वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लिंक नं. 4672) कार्यालय उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाये, अजमेर जिनकी जन्मतिथि 01.01.1959 व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 11.11.1980 एवं कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति तिथि दिनांक 28.06.1988 है। कार्यालय उप निदेशक ,महिला एवं बाल विकास विभाग, अजमेर के माध्यम से प्रेषित अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2015 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 50 (3)(क) के तहत पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दिनांक 01.10.2015 से नियमानुसार तीन माह का अग्रिम नोटिस देकर राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही गयी है।

अतः श्री ओम प्रकाश वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II की राजस्थान सेवा नियम 50 (3)(ख) के अन्तर्गत नोटिस अवधि की समाप्ति पर दिनांक 01.10.2015 से स्वैच्छिक सेवा निवृति स्वीकृत की जाती है।

वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के कम में यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री ओम प्रकाश वर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के विरूद्व आज तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :–एफ. 3(ख) (ओ–608/86)/अलेसे–II/ 19716-19722 दिनांक :– 11.08.2015

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाये अजमेर ।
3. संयुक्त निदेशक पेंशन एंव पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षे0 का0 अजमेर ।
4. श्री ओम प्रकाश वर्मा ,कार्यालय उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवाये अजमेर ।
5. संयुक्त निदेशक, विधि/जॉच।
6. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा।
7. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)